

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1591 / 2007 / पाली.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, हनुमानगढ़.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स गुजरात स्पाइसेज एण्ड ऑयल सीड्स ग्रोवर्स  
कॉ-ऑप. युनियन लिमिटेड, सुमेरपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री जमील जई, उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 14 / 09 / 2018

### निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 16 / आरएसटी / सुमेर. / 2005-06 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 05.05.2007 के विरुद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 85 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, हनुमानगढ़ (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत पारित किये आदेश दिनांक 25.10.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 18.10.2005 को प्रत्यर्थी द्वारा राजस्थान से हिसार की ओर परिवहनित किये जा रहे टैंकर संख्या आर.जे.13 / जी-6498 की जांच की गयी थी, उसमें रिफाइण्ड पाम ऑयल परिवहनित किया जा रहा था। इस माल के समर्थन में माल से सम्बन्धित बिल्टी, बिल, जो गुजरात स्पाइसेज एण्ड ऑयल सीड्स ग्रोवर्स कॉपरेटिव युनियन लिमिटेड डिपो सुमेरपुर से मैसर्स पायोनियर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, पठानकोट (पंजाब) के नाम जारी किये गये थे, जिसमें माल की मात्रा एवं कीमत दर्शाई हुई थी तथा राज्य से माल बाहर जाने के लिये घोषणा पत्र एस.टी.18सी प्रस्तुत किया गया था। इस तरह अधिनियम की धारा 78 में वांछित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये हुए थे, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने वाहन को रोककर यह आक्षेप किया कि वाहन में भरा हुआ माल पाम ऑयल न होकर मिक्स्ड वेजिटेबल ऑयल है एवं इस सम्बन्ध में उनके द्वारा माल को रिफाइण्ड ऑयल एवं इसकी क्वालिटी को गलत घोषित करना मानते हुए अधिनियम की

लगातार.....2

धारा 78 का उल्लंघन मानकर शास्ति का आरोपण किया गया, जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया, जिसके विरुद्ध राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि चूंकि माल के परिवहन के दौरान बिलों में जो माल घोषित किया हुआ था वह पाम ऑयल के रूप में घोषित किया गया था जबकि लेबोरेट्री जांच में वह माल पाम ऑयल के स्थान पर मिस्कड वेजिटेबल ऑयल पाया गया था अतः इसे गलत घोषणा मानते हुए जो शास्ति आरोपित की गयी थी वह विधिसम्मत होने से अपीलीय आदेश द्वारा अपास्त किये जाने में त्रुटि की गयी है, फलतः कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को पुनर्स्थापित किये जाने का अनुरोध किया।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रथमतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना कोई आदेश पारित किये प्रत्यर्थी व्यवहारी से शास्ति राशि की वसूली कर ली गयी थी इस तरह बिना आदेश पारित किये वसूली किया जाना विधि के विरुद्ध था एवं इस आधार को अपीलीय अधिकारी द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि शास्ति की वसूली शास्ति आदेश पारित करने से पूर्व कर ली गयी है एवं इस सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये विधिक निर्णयों के आधार पर इस बिन्दु के आधार पर भी अपील को स्वीकार किया गया था जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।


5. प्रत्यर्थी व्यवहारी ने यह भी कथन किया कि प्रकरण में अधिनियम की धारा 78 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। यह प्रस्तुत दस्तावेजों से भी प्रमाणित है एवं स्वयं कर निर्धारण आदेश से भी प्रमाणित है कि व्यवहारी द्वारा परिवहन के समय प्रत्येक अनिवार्य दस्तावेज यथा बिल, बिल्टी एवं राजकीय घोषणा पत्र एस.टी.18सी प्रस्तुत किया हुआ था, उसके बावजूद भी केवलमात्र मनमाने रूप से माल को अन्यथा बताते हुए शास्ति का आरोपण किया गया है, जबकि विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि परिवहन के दौरान किसी वस्तु की कर दर वर्गीकरण के आधार पर शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता एवं यह भी तर्क दिया कि इस प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर योग्य माल का परिवहन किया जा रहा था एवं किसी गलत घोषणा से कर योग्य माल को करमुक्त नहीं बताया गया था। इस तरह केवल माल की क्वालिटी को अन्यथा बताते हुए जो शास्ति आरोपित की गयी थी, उसे अपीलीय अधिकारी द्वारा न्यायिक एवं विधिक आदेश से अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी थी। इस तरह गुणावगुण के आधार पर भी अपीलीय आदेश उचित होने से राजस्व की अपील खारिज योग्य है।



6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण आदेश, अपीलीय आदेश एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों के अवलोकन एवं कर निर्धारण आदेश के अवलोकन से यह निर्विवादित रूप से सत्य है कि परिवहन के दौरान अनिवार्य विधिक दस्तावेज संलग्न किये हुए थे जो कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किये गये थे, जिसमें माल की बिल्टी, बिल एवं घोषणा पत्र एस.टी.18सी भी प्रस्तुत किये गये थे, ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 78 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया था। साथ ही प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी इस बिन्दु पर कोई आक्षेप नहीं किया गया है कि धारा 78 की किसी भी तरह से कोई अवहेलना की गयी थी बल्कि उन्होंने अपने स्तर पर माल को पाम ऑयल के स्थान पर मिस्कड वेजिटेबल ऑयल मानते हुए इसे गलत घोषणा बताकर शास्ति का आरोपण किया गया है जो उचित नहीं है।

7. पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राजस्थान राज्य का कर चुकाने के उद्देश्य से माल को गुजरात राज्य से राजस्थान राज्य में स्थानान्तरित कर यहां से बिल जारी करते हुए कर की वसूली की गयी थी। इस तरह राजस्थान राज्य के कर को दिये जाने की मंशा के साथ माल का विक्रय किया गया था एवं किसी भी तरह की कर चोरी नहीं होने के प्रमाण के रूप में विधिक घोषणा पत्र एस.टी.18सी पूर्णतया भरा हुआ भी प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माल के बिल एवं मात्रा तथा मूल्य राशि घोषित की हुई थी। इस तरह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से शास्ति का आरोपण किया गया था जो अविधिक होने से अपास्त योग्य था। यह तथ्य भी स्पष्ट था कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना कोई आदेश पारित किये ही मांग राशि की वसूली कर ली गयी थी, जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पूर्ण विवेचना करते हुए निर्णय दिया है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा दोनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए शास्ति आदेश को अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है, फलतः अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

  
( के. एल. जैन )  
सदस्य